

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की परिवीक्षा व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र पर छोड़ा गया*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 09.09.2025 को मा0 न्यायालय-जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र के अधीन छोड़ा गया।

विवरण:-

विदित हो कि दिनांक 21.07.2014 को वादी श्री दखी गुप्ता पुत्र श्री रघुवार गुप्ता निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि उधार समान न देने के कारण अभियुक्तगण 01. राजकुमार 02. राजेश पुत्रगण सीताराम निवासी गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/2003 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री अमर बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी।

मु0अ0सं0 03/2003 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त 01. राजकुमार 02. राजेश पुत्रगण सीताराम को धारा 323 भादवि0 में दोष सिद्धि के फलस्वरूप कारागार भेजने के स्थान पर 01-01 वर्ष की परिवीक्षा पर सदाचार कायम रखने व 25-25 हजार रुपये के निजी बन्धपत्र के अधीन छोड़ा गया।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7668 द्वारा साइकिल चोर को पकड़कर कोतवाली खलीलाबाद थाने पर सुपुर्द किया गया – पीआरवी 7668 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत नेशनल अस्पताल छोटी सरौली से कालर द्वारा साइकिल चोरी की घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त चोर को कालर एवं पीआरवी कर्मियों द्वारा पकड़कर कोतवाली खलीलाबाद थाने पर सुपुर्द किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर साइकिल चोर को पकड़कर कोतवाली खलीलाबाद थाने सुपुर्द किया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ*- आ0 अंगद यादव, हो0चा0 दिलीप चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 130 वाहनों से 1,71,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 130 वाहनों से 1,71,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

□ *पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात पुलिस अवैध अतिक्रमण व बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान*

□ *अभियान के तहत जनपद से कुल 130 वाहनों से 1,71,000 रु0 वसूला गया जुर्माना*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री अभयनाथ मिश्रा* के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 09.09.2025 को अवैध अतिक्रमण व बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान तथा

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों व चोटों को कम करने के लिए किए गए एक सामाजिक प्रयास है। इस अभियान के तहत "नो हेलमेट, नो फ्यूल" जैसी पहल, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई शामिल है ताकि सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके।

□ *पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रॉग साइड व बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान*

□ *अभियान के तहत जनपद से कुल 130 वाहनों से 1,71,000 रु0 वसूला गया जुर्माना*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री अभयनाथ मिश्रा* के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 09.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरूकता के नियमों के बारे में जागरूक करते हुए रॉग साइड व बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी व छिनैती के मामले का सफल अनावरण करते हुए 02 अदद मोबाइल फोन, 500 रु0 नकद व छिनैती व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 11.04.2025 को वादिनी कु0 सुधा विश्वकर्मा पुत्री स्व0 ओमप्रकाश विश्वकर्मा निवासिनी ग्राम गजपुर पोस्ट कोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि नेहरू चौक के पास स्थित बड़ौदा यू0पी0 बैंक के सामने स्थित ग्राहक सेवा केन्द्र पर 4000 रु0 में आपरेटर का कार्य करती है दिनांक 07.04.2025 को उनकी साइकिल 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र से चोरी कर ली गयी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 293/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 26.04.2025 को वादी श्री उमेश चन्द द्विवेदी पुत्र स्व0 सदानन्द द्विवेदी निवासी फेरुसा थाना को0 खलीलाबाद हाल पता गायत्री राइस मिल, औद्योगिक क्षेत्र थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दी गयी कि दिनांक 23.04.2025 को शाम के करीब 7.00 बजे फायर स्टेशन के बगल में अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे कि पीछे से 02 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा 01 अदद मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 336/2025 धारा 304(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 27.04.2025 को उक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को औद्योगिक क्षेत्र तिराहा, लेबर कालोनी के पास से छिनैती के 02 अदद मोबाइल फोन, 500 रु0 नकद व छिनैती व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम नियो UP58 H9819 के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 293/2025 धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0सं0 336/2025 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंशु शाह पुत्र मनोज शाह साकिन पाकरगांव थाना बगहा जनपद पश्चिमी बिहार हाल मुकाम बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
2. आशुतोष पाठक उर्फ सत्यम पाठक पुत्र गजेन्द्र पाठक साकिन महनी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1. छिनैती के 02 अदद मोबाइल फोन।
2. 500 रु0 नकद (चोरी की साइकिल बेचने से प्राप्त धन)।
6. घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा ड्रीम नियो (रजि0 नं0 UP58 H9819)।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताए कि बरामद 01 अदद मोबाइल(Redmi8) फोन करीब एक माह पहले तामेश्वरनाथ मन्दिर के पास से एक व्यक्ति के पास से छीन लिये थे तथा बरामद अन्य 01 अदद मोबाइल फोन (1+ NORDCE4) दिनांक 23.04.2025 को सांय करीब 7.00 बजे औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन के बगल वाली रोड पर टहल रहे एक व्यक्ति से पीछे से छीन कर भाग गये थे। दिनांक 27 मार्च 2025 को दोपहर में नेहरू चौक के पास बड़ौदा यूपी के सामने से एक साइकिल हम दोनों द्वारा चुराया गया था जिसे मात्र 500 रु0 में बेच दिया था।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:-

उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, का0 घनश्याम त्रिपाठी, का0 मनीष कुमार यादव।